न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर केम्प कोर्ट पालरा ,राजस्थान

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15 / 2021

उनवान

1. श्री छोटू सिह रावत पुत्र श्री लादू सिह जी उम्र लगभग 85 साल निवासी ग्राम खाजपुरा तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति जमना पत्नि श्री मदनसिह उम्र लगभग 55 साल जाति रावत
2. श्री कैलाश सिह पुत्र श्री मदनसिह उम्र लगभग 33 साल जाति रावत
3. श्री भंवर पुत्र स्व0 श्री मागू उम्र लगभग 70 साल जाति रावत
4. श्री पेमा पुत्र श्री मागू उम्र लगभग 56 साल जाति रावत निवासीगण गांव खाजपुरा तहसील व जिला अजमेर
5. श्री भागचन्द पुत्र छोटू सिह उम्र लगीाग 48 साल जाति रावत निवासी ग्राम भूडोल तहसील व जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 10.12.2021

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत पालरा में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थी श्री छोटू सि व अप्रार्थी श्री कैलाश सिह उपस्थित । उभय पक्ष के निवेदन पर उन्हे उक्त पत्रावली पर सुना गया ।

Scanned by CamScanner

प्रार्थी/वकिल प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की मालिकाना हक एवं स्वामित्व की आराजी भूमि ग्राम खाजपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका खाता संख्या 98 व खसरा संख्या नया हाल आधार जमाबंदी के अनुसार 938 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म चाही है। उक्त भूमि में आने जाने के लिए निकटतम रास्ता एवं वेकल्पिक मार्ग मौजूद नही है जो राजस्व नक्शा ट्रेस से पूर्णतया स्पष्ट प्रकट होता है। उक्त खातेदारी भूमि के पडौस में अवस्थित खातेदारी भूमि जिसका खाता संख्या 224 एवं खसरा संख्या 941 रकबा 0.2000 किस्म चाही 2 है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 5 है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की उक्त ख्सरा संख्या में से ही प्रार्थी की भूमि में एक मात्र रूप से आने जाने का लघुतम एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध हो सकेगा इसके अलावा प्रार्थी उक्त उक्त भूमि में आने जाने का अन्य कोई भी रास्ता एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है । उक्त वर्णित भूमि में आने जाने के लिए कोई निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थी को फसल बोने, फसल काटने, खेत में आने जाने तथा उपयोग उपभोग में अत्यधीक परेशानी हो रही है। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी को अतिशीघ्र अप्रार्थी संख्या 1 लगातय 5 की उपरोक्त वर्णित खसरा हाल आधार जमाबंदी खाता संख्या 224 एवं खसरा संख्या 941 रकबा 0.2000 किस्म चाही 2 की भूमि में से 30 फुट चौडा एवं खेत की पहुच तक लगभग 80 फुट लम्बा रास्ता नियमानुसार दिलवाया जावे। उक्त वर्णित भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की उक्त खसरा संख्या जो हाल आधार जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 224 एवं खसरा संख्या 941 रकबा 0.2000 किस्म चाही 2 की भूमि में से 30 फुट चौडा एवं खेत की पहुच तक लगीाग 80 फुट लम्बा रास्ता उपलब्ध करावाया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकी प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु बेलगाडी, ट्रेक्टर, डम्पर, ट्रक आदि आराम से आ जा सके इसलिए प्रार्थी को कम से कम 30 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की भूमि से प्रार्थी के खेत तक पहॅचने हेतु दिलवाया जावे। प्रार्थी को उक्त वर्णित भूमि में कब्जे,काश्त एवं उपयोग उपभोग के लिए अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की वर्णित खसरा संख्या जो हाल आधार जमाबंदी के खाता संख्या 224 एवं खसरा संख्या 941 रकबा 0.2000 किस्म चाही 2 में से यदि नियमानुसार रास्ता उपलब्ध नही करवाया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकन किया जाना सम्भव नही है । अतः प्रार्थी का प्रार्स्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए अपार्थी संख्ख्या 1 लगायत

Scanned by CamScanner

5 की भूमि खसरा संख्या 941 रकबा 0.2000 में से उपयोग एवं उपभोग हेतु 30 फुट चौडा एवं प्रार्थी के खेत तक पहुँचने हेतु लगभग 80 फुट लम्बा रास्ता प्रदान करे। इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार जो भी राशि होगी वह जमा करवाने हेत तेयार है, साथ ही राजस्व नक्शा ट्रेस में भी तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से श्री राजेन्द्र सिह रावत अधिवक्ता दिनांक 8.9.2021 को उपस्थित आये ।

दौराने केम्प तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्राथ्री द्वारा ग्राम खाजपुरा के स्वयं के खातेदारी खसरा नम्बर 938 पर आने जाने हेतु अपार्थी के खसरा नम्बर 941 में से रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर 938 प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 929 तथा 931 से सम्पर्कित है तथा खसरा नबर 931 आम रास्ता राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 628 से लगता हुआ है जो कि ग्राम पंचायत पालरा के नाम दर्ज है तथा ग्राम खाजपुरा की मुख्य आबादी से जुडा हुआ है। ऐसी स्थिति में रास्ता उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दोराने केम्प उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पास पूर्व में रास्ता विघमान होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पास में स्वयं के खातेदार खेत खसरा नम्बर 938 खातेदार काबिज है। कृषि कार्य करने का कार्य करने हेतु विधि पूर्ण आवागमन का रास्ता नही है। इस कारण भारी परेशानी व दिक्कते का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 938 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 941 में से रास्ता उपलब्ध कराया जावे। प्रार्थी जो भी राशि है अदा करने को तैयार है। साथ ही तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट दिनांक 8.12.2021 में प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर 938 प्रार्थी के अन्य खसरा नम्बर 929 तथा 931 से सम्पर्कित है तथा खसरा नबर 931 आम रास्ता राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 628 से लगता हुआ है जो कि ग्राम पंचायत पालरा के नाम दर्ज है तथा ग्राम खाजपुरा की मुख्य आबादी से जुडा हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,अजमेर

Scanned by CamScanner